कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 1( )/अप्रमुवस/एम एण्ड ई/जि.प्र./2015/5771-603 दिनांक 10-8-15

निमित्त :

1 श्री. ए.के. उपाध्याय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ट्री) राजझथान, जयपुर
2 श्री मोहनलाल मीणा
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सुरक्षा), जयपुर
3 श्री समीर कुमार दुबे
मुख्य वन संरक्षक, अजमेर
4 श्री वी एस बोहरा
मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) जयपुर
5 श्री वीरेन्द्र सिंह
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) जयपुर
6 श्री राजेश कुमार ग्रोवर
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय) जयपुर
7 श्री डी एन पाण्डे
सदस्य सचिव मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, जयपुर
8 श्री भरत तैमिनी
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी एफ एण्ड सी) राजस्थान, जयपुर
9 श्री वेंकटेश शर्मा
मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर
10 श्री अरविन्दर सिंह बरार
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–संरक्षण), अरावली भवन, जयपुर
11 श्री राजीव कुमार गोयल
प्रोजेक्ट डायरेक्टर राज. फोरेस्ट्री एवं बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट जयपुर
12 श्री घनश्याम प्रसाद शर्मा
वन संरक्षक (एम एण्ड ई), भरतपुर
13 श्री अजय कुमार गुप्ता
वन संरक्षक (एफ.पी.आर.पी.), जयपुर
14 श्री सी.एस. रत्नासामी
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी. ए) राजस्थान जयपुर।
15 श्री इन्द्रराज सिंह
मुख्य वन संरक्षक, कोटा
16 श्री पीके उपाध्याय
मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), कोटा
17 श्री जी.वी. रेड्डी
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ईको ट्यूरिज्म), जयपुर
18 डॉ0 सुरेशचन्द्र
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) जयपुर
19 श्री ओमप्रकाश सिंह
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ईजीएस) जयपुर
20 श्री टी.सी. वर्मा
वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन वन भवन, जयपुर
21 श्री राहुल कुमार भटनागर
वन संरक्षक (वन्य जीव), उदयपुर
22 श्री इन्द्रपाल सिंह

वन संरक्षक (एम एण्ड ई) उदयपुर
23 श्री दीपक भटनागर
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), राज. जयपुर
24 श्री अनिल कुमा गोयल
शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राज0, जयपुर
25 श्री के.सी. मीणा
मुख्य वन संरक्षक बीकानेर
26 श्री अजय कुमार सिंह
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि) राज0 जयपुर
27 श्री मनीराम पूनियां
वन संरक्षक (वन्य जीव)
कार्यालय मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान, जयपुर
28 श्री राजीव कुमार त्यागी
अति. प्रधन मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज0, जयपुर
29 श्री अरविन्दम तोमर
मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर
30 डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज
मुख्य वन संरक्षक (वाईल्ड लाईफ) जोधपुर
31 श्री के.के. गर्ग
मुख्य वन संरक्षक (डब्ल्यू एफ पी एस), अरावली भवन, जयपुर
32 श्री अशोक कुमार बी. रामटेक
मुख्य वन संरक्षक, जयपुर
33 श्री दयाराम साहरण
वन संरक्षक (एम एण्ड ई) जोधपुर

विषय :—वन विभाग के कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु सूचना हेतु प्रपत्र तैयारी बाबत।

संदर्भ :—राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.12 (1)वन/2015 दिनांक 22.01.2015 एवं प.12 (1) वन/2015 दिनांक 04.02.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार के संदर्भित आदेशों द्वारा वन विभाग के कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर Grass root level कार्यक्रम की क्रियान्विती, संचालित जिले की सभी योजनाओं की समयबद्ध प्रगति प्रभावी मौनेटरिंग कर परिणामदायी व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से प्रत्येक जिले का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया था। जिला प्रभारियों द्वारा उनसे संबंधित जिले की प्राप्त रिपोर्ट में एकरुपता लाने हेतु, विस्तृत एवं संतुलित चैकलिस्ट प्रस्तुत करने हेतु संबंधित संदर्भित दोनों पत्रों के बिन्दुओं को संकलित कर एक प्रपत्र भिजवाया जा रहा है। उक्त प्रपत्र के अनुसार इकजाई रिपोर्ट विभाजन रेखा के अनुसार अलग—अलग पृष्ठों में भिजवाने का कष्ट करें,ताकि संकलित सूचना राज्य सरकार को भिजवाई जा सके।

1. निरीक्षण प्रतिवेदन में सबसे पहले बजट घोषणाओं की पालना, मुख्यमंत्री/मंत्री घोषणाओं एवं स्वराज संकल्प की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जावें तथा क्रियान्विति सुनिश्चित की जावें।

2. स्टेट प्लान में कराये जा रहे कार्यों की लक्ष्यानुरूप उपलब्धि सुनिश्चित की जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में चलाये जा रहे विशेष प्रोजेक्टों की समयबद्ध क्रियान्विंति के प्रभावी प्रयास किये जावें।
4. वृक्षारोपण व वनीकरण
5. जिले में संचालित अन्य समस्त योजनायें,समस्त जिला स्पेसिफिक योजनायें, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में चलाये जा रहे विशेष प्रोजेक्टों की समयबद्ध क्रियान्विति के प्रभावी प्रयास किये जावें। आगामी वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण हेतु पौध तैयार करने के लिए कार्य का पर्यवेक्षण भली प्रकार किया जावें ताकि वृक्षारोपण के लिए जिलेवार कार्य योजना बनाकर सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित करावें।
6. आवंटित राशि का वित वर्ष के अतिम माहों में व्यय करने की प्रवृत्ति को समाप्त कर उसके स्थान पर पूरे वितीय वर्ष में प्रोग्रेस की नियमित समीक्षा कर विकास कार्यों में बजट का उपयोग किया जावें।
7. लू–ताप से पौधों को बचाने की सही व्यवस्था की जावें।

---

8. वन्य जीव योजनायें–बायोस्फेयर रिजर्व इत्यादि

---

9. जायका, आरएफबीपी II में कराये जा रहे कार्यों की लक्ष्यानुरूप उपलब्धि सुनिश्चित की जावें। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में चलाये जा रहे विशेष प्रोजेक्टों की समयबद्ध क्रियान्विति के प्रभावी प्रयास किये जावें। आवंटित राशि का वित वर्ष के अंतिम माहों में व्यय करने की प्रवृत्ति को समाप्त कर उसके स्थान पर पूरे वितीय वर्ष में प्रोग्रेस की नियमित समीक्षा कर विकास कार्यों में बजट का उपयोग किया जावें।

---

10. कैम्पा कार्यक्रम, वृक्षारोपण व वनीकरण, कैम्पा में कराये जा रहे कार्यों की लक्ष्यानुरूप उपलब्धि सुनिश्चित की जावें।

---

11. मनरेगा, बीस सूत्री कार्यक्रम में कराये जा रहे कार्यों की लक्ष्यानुरूप उपलब्धि सुनिश्चित की जावें।
12. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गोद ली गई ग्रा0पं0/ग्राम में वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रगति का जायजा, गांवों/ग्राम पंचायतों को गोद देने की कार्यवाही की नियमित समीक्षा की जावें। प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी मासिक बैठक आयोजित कर वृक्षारोपण कार्य की प्रगति का जायजा लेंगे।
13. प्रत्येक जिले में वृक्षारोपण/वनीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था प्रतिनिधियों से निरीक्षण के दौरान चर्चा कर प्राप्त सरगर्भित सुझावों पर कार्यवाही की जावें।
14. सभी जिला स्तरीय उप वन संरक्षकों को निर्देश जारी किये जावे किवे जिले के भामाशाहों/सामाजिक संस्थाओं/ट्रस्टों/स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों की सूची तैयार करें, उनसे सम्पर्क व समन्वय स्थापित करें एवं जिला प्रभारी सभी संगठन प्रतिनिधियों के साथ एक चर्चा बैठक आयोजित करें तथा इन्हें वृक्षारोपण जैसे पवित्र कार्य से जोडकर सडक मार्ग/गांवों/मोहल्ला/वार्ड तथा क्षेत्र गोद देने के कार्यवाही करें। क्षेत्र विशेष के वृक्षारोपण का नामकरण संबंधित भामाशाह के नाम से किया जा सकता है। इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाकर वृक्षारोपण कार्य करवाया जावें।

15. वन भूमि पर अतिक्रमण, वन भूमि पर अतिक्रमण--भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 में कार्यवाही, वन भूमियों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने एवं अतिक्रमण मुक्त करने के लिए समय समय पर अभियन चलाकर प्रभावी कार्यवाही कर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जावें। वन भूमियों पर किये गये अतिक्रमणों को हटाने हेतु भू–राजस्व अधिनियम के अंतर्गत दर्ज एवं निस्तारित प्रकरणों की संख्या काफी कम है। अतिक्रमणों के मामलों में कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। 1980 से पूर्व वन भूमि पर किये गये अतिक्रमण का नियमन। अतिक्रमण से प्रभावित वन क्षेत्रों को सुरक्षित करने हेतु ऐसी वन भूमियों के पिल्लर निर्माण एवं पक्की दीवार निर्माण के कार्य को प्राथमिकता प्रदान कर कार्यवाही करावें।

16. वन अपराधों की अद्यतन सूचना। वन अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी एवं नियमित कार्यवाही की जावें। विभागीय स्तर पर काफी केसेज पेण्डिंग है, जिसमें नियमित कार्यवाही कर निस्तारण करें तथा कोर्ट केसेज की प्रभावी पैरवी करावें।

17. वन भूमि में अवैध खनन, अवैध खनन--प्रत्येक जिले के अवैध खनन के अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर अवैध खनन को रोकने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित कर प्रत्येक माह अचानक एवं विशेष अभियान नियमित चलाया जावें। अवैध खनन से विशेष प्रभावित जिले अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर मे नियमित एवं अचानक कार्यवाही की जावें। अवैध खनन करने वालों के विरूद्ध अधिक से अधिक केसेज बनाकर न्यायालय में चालना की कार्यवाही की जावें। अवैध खनन में प्रयुक्त वाहनों की जप्ति एवं अधिहरण के लम्बित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण किया जावें। अलवर जिले में अवैध खनन को रोकने हेतु अरावली श्रृंखला के बाहर एवं छोटी छोटी छितराई हुई पहाडियों की वन भूमियों के डाईवर्जन के प्रस्ताव तैयार किये जावें ताकि अवैध खनन के स्थान पर वैध खनन हो सके। अवैध खनन की रोकथाम हेतु प्रभावित वन क्षेत्रों को सुरक्षित करने हेतु ऐसी वन भूमियों के पिल्लर निर्माण एवं पक्की दीवार निर्माण के कार्य को प्राथमिकता प्रदान कर कार्यवाही करावें।

18. अवैध आरा मशीनों का अचानक निरीक्षण कर प्रभावी तरीके से कार्यवाही किया जाने की आवश्यकता है।

---

19. वन भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद, वन भूमियों के नामान्तरणकरण की कार्यवाही काफी समय से पेण्डिंग है। ऐसे केसेज को शून्य के स्तर पर लाने की कार्य योजना बनाकर समस्त वन भूमियों के नामान्तरणकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जावें। इस हेतु निरीक्षण के दौरानर सभी बकाया प्रकरणों की सूचियां लेकर जिला कलेक्टर से चर्चा करें तथा वन भूमियों के नामान्तरणकरण की कार्यवाही की जावें। इस हेतु वन भूमि के नक्शों एवं राजस्व नक्शें की सुपरइन्पोज कर कार्यवाही भी की जावें।

---

20. डायवर्जन केसेज, सार्वजनिक एवं जन उपयोग के बकाया डाईवर्जन केसेज में तत्काल कार्यवाही की जावें एवं प्रकरण राज्य सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ भिजवायें।

---

21. जन सुनवाई / सम्पर्क / सुगम पोर्टल

22. लोकायुक्त प्रकरण

---

23. ईको ट्यूरिज्म

---

24. इस माह तक की राजस्व प्राप्तियां की अद्यतन सूचना मय लक्ष्य, आवंटित राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी तरीके से कार्यवाही कर लक्ष्यानुरूप उपलब्धि सुनिश्चित की जावें।

---

25. विभिन्न कार्यक्रमों का मौके पर जायजा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अंत में अपने सुझाव, भारत सरकार/राज्य सरकार के स्तर पर पेडिंग प्रकरणों तथा संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही/निर्देशों को तीन अलग अलग शीर्षक में बिन्दुवार अंकित करें तथा निरीक्षण उपरांत पालना सुनिश्चित करावें तथा शेष बिन्दु ध्यानाकर्षण हेतु माननीय मंत्री महोदय को प्रस्तुत करें।
26. सभी जिला स्तरीय उप वन संरक्षकों को निर्देश जारी किये जावे कि वे ज़िले के भामाशाहों/सामाजिक संस्थाओं/ट्रस्टों/स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों की सूची तैयार करें, उनसे सम्पर्क व समन्वय स्थापित करें एवं जिला प्रभारी सभी संगठन प्रतिनिधियों के साथ एक चर्चा बैठक आयोजित करें तथा इन्हें वृक्षारोपण जैसे पवित्र कार्य से जोडकर सडक मार्ग/गांवों/मोहल्ला/वार्ड तथा क्षेत्र गोद देने के कार्यवाही करें। क्षेत्र विशेष के वृक्षारोपण का नामकरण संबंधित भामाशाह के नाम से किया जा सकता है। इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाकर वृक्षारोपण कार्य करवाया जावें।
27. जिला प्रभारी अधिकारियों से द्विमासिक निरीक्षण उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु विभाग की प्रत्येक योजना एवं कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत एवं संतुलित चेकलिस्ट प्रस्तुत करें ताकि चेक लिस्ट में निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किये जाकर अग्रेसित किये जा सके।

कृपया सभी जिला प्रभारी अधिकारीगण पृथक–पृथक जिलों की सूचना उक्त बिन्दुओं के क्रम में क्रमानुसार एवं संलग्न प्रपत्र में ही निरीक्षण के 3 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरानुसार

नेट पर अपलोड किया जावे

11/8/2015

भवदीय

वन संरक्षक,
समवर्ती मूल्यांकन,
राजस्थान,जयपुर

Item No 17. PROFORMA FOR MONITORING OF ECOTOURISM WORKS

Month	Name Division	Name work	Geo graphical coordinates	Name Scheme	Work Sanction no and year	Sanctioned Amount in lakhs	Amount released in Lakhs	Expenditure till previous year in lakhs	Expenditure during the current year	Key Comments (Reasons for short fall)

क्र. सं	संभाग का नाम	जिला	जिला प्रभारी का नाम	बजट घोषणायें		मुख्यमंत्री घोषणायें		सुराज संकल्प		वन्य जीव योजनायें (बायोस्फेयर रिजर्व इत्यादि)		जायका / आर एफ बी.पी. II				वंन्पा कार्यक्रम				स्टेटप्लान एवं अन्य योजनायें			
												वित्तीय		भौतिक		वित्तीय		भौतिक		वित्तीय		भौतिक	
				घोषणाओं की संख्या	प्राप्ति	घोषणाओं की संख्या	प्राप्ति	संकल्पों की संख्या	प्राप्ति	योजनाओं की संख्या	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति

मनरेगा स्वीकृत कार्य एवं प्राप्ति			बीस सूत्री कार्यक्रम				वन भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद			डायवर्जन कैसेज			वृक्षारोपण व वनीकरण			जन सुनवाई की जा रही है अथवा नहीं की गई यदि की गई हो तो संक्षिप्त विवरण	राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज एवं निस्तारित प्रकरण	सुगम पोर्टल	
			51 (a) area covered under public and forest lanc. (Ha.)		51 (b) no. of seedling planted on public and forest land. (Ha.)		वन मण्डल में कुल वन भूमि	अमल दरामद (है0)	अमल दरामद से अवशेष (है0)	कुल प्रकरण	स्वीकृत प्रकरण एवं उससे संबंधित क्षेत्रफल	अवशेष प्रकरण	नाम योजना	लक्ष्य	प्राप्ति			दर्ज प्रकरण	निस्तारित
स्वीकृत कुल कार्य 2015–16	चालू कार्य	पूर्ण कार्य	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति													

ईको ट्यूरिज्म कोई योजना हो तो विवरण	विभिन्न कार्यक्रमों का मौके पर जायजा का संक्षिप्त विवरण	जिले में संचालित अन्य समस्त योजनायें			वन अपराध की अद्यतन सूचना (माह –– 2016 तक)					वन भूमि पर अतिक्रमण जिनके अंतर्गत भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 में कार्यवाही विचाराधीन				1980 से पूर्व वनभूमि पर किये गये अतिक्रमण का नियमन			
		नाम योजना	लक्ष्य	प्राप्ति	दर्ज	विभाग के स्तर पर पैण्डिंग	विभाग स्तर पर निस्तारित	कोर्ट स्तर पर पेंडिंग एवं निस्तारित		कुल प्रकरण दर्ज	कुल अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्रफल (है0)	वर्तमान स्थिति निस्तारित एवं पेंडिंग		कुल प्रकरण		नियमन	
								निस्तारित	पैंडिंग			निस्तारित	पैंडिंग	कुल प्रकरण	पेंडिंग	कुल प्रकरण	पेंडिंग

वन भूमि पर अवैध खनन				लोकायुक्त प्रकरण		अवैध आरामशीन		माह .... 2016 तक की राजस्व प्राप्तियां		गोद ली गई ग्राम पंचायत / ग्राम का नाम	समस्त जिला स्पेसिफिक योजनायें			वृक्षारोपण एवं वनीकरण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति / संस्था प्रतिनिधियों से निरीक्षण के दौरान चर्चा एवं सारगर्भित सुझाव	जिले में भामाशाहों / सामाजिक संस्थाओं / ट्रस्टो / सवयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों की सूची एवं उनसे बैठक / चर्चा आयोजित कर क्षेत्र गोद लेने की कार्यवाही की प्रगति	निरीक्षण प्रतिवेदन में जिला प्रभारी के सुझाव जिनमें भारत सरकार / राज्य सरकार के स्तर पर पेंडिंग प्रकरणों तथा उप वन संरक्षक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही	द्वि–मासिक निरीक्षण के उपरांत विभाग की प्रत्येक योजना एवं कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुए योजनावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एव उनकी प्राप्ति का विवरण	वि.वि.
दर्ज	विभाग स्तर पर पैण्डिंग	निस्तारित विभाग स्तर पर	कोर्ट स्तर पर	दर्ज प्रकरण	निस्तारित प्रकरण	अवैध आरा मशीनों के दर्ज प्रकरणों की संख्या	बंद करवाई गई आरा मशीनों के निस्तारित प्रकरणों की संख्या	लक्ष्य	प्राप्ति		नाम योजना	लक्ष्य	प्राप्ति					

(हस्ता०)